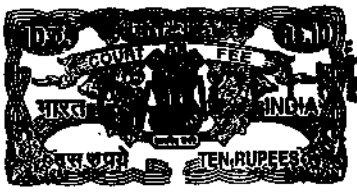

214

अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत
प्रस्तुतकार रीडर
18 JUN 2013
अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर, जबलपुर संभाग

250

समक्ष न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर, म0प्र0

R. 2718-I/13

पुनरीक्षण याचिका क्रमांक :- /2013

1- छोटेलाल आत्मज गेंदलाल

2- बसंत आत्मज छोटेलाल कुशवाहा

3- किशन आत्मज छोटेलाल कुशवाहा

4- मिन्टू पिता छोटेलाल कुशवाहा

सभी निवासी- ग्राम रमनगरा, तिलवाराघाट

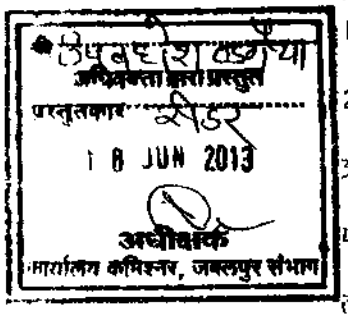

थाना- गढ़ा, जबलपुर म0प्र0 --- पुनरीक्षणकर्तागण

विरुद्ध

1- श्रीमती राम बाई बेवा गेंदलाल कुशवाहा

2- [illegible] आत्मज गेंदलाल कुशवाहा

3- राजकली आत्मज गेंदलाल कुशवाहा

4 पूना कुशवाहा आत्मज स्व0 गेंदलाल कुशवाहा

5- बड़की बाई कुशवाहा पिता गेंदलाल कुशवाहा

6- प्रेमवती पिता गेंदलाल कुशवाहा

सभी निवासी- तिलवाराघाट गौशाला के सामने

जबलपुर म0प्र0 ---- गैर पुनरीक्षणकर्तागण

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू-राजस्व संहिता- 1959

पुनरीक्षणकर्तागण, माननीय न्यायालय से निम्नलिखित प्रार्थना करते हैं :=

1- पुनरीक्षणकर्ता माननीय अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान राजेन्द्र राय अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग गोरखपुर, जबलपुर द्वारा रा0प्र0क्र0- 96-अ6/2011-2012 पक्षकार श्रीमती रामबाई एवं अन्य विरुद्ध छोटेलाल

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग0 2718–एक/13 जिला – जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27.7.16	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, अनुभाग गोरखपुर जिला जबलपुर के प्रकरण कमांक 96/अ–6/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 20–5–13 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकों द्वारा नामांतरण पंजी कमांक 17 प्रविष्टि दर्ज दिनांक 27–11–1985 को पारित आदेश के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में वर्ष 2012 में अपील पेश की गई । जिसके साथ धारा 5 अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पेश किया गया अनुविभागीय अधिकारी ने अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन को दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत आलोच्य आदेश द्वारा स्वीकार करते हुए प्रकरण गुणदोष के आधार पर निराकृत किये जाने हेतु ग्राह्य किया गया है । अनुविभागीय अधिकारी के इस अंतरिम आदेश के विरूद्ध यह निगरानी पेश की गई है । 3/ दानों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया एवं प्रस्तुत न्यायदृष्टातों का परिशीलन किया गया । इस प्रकरण में यह स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा हितबद्ध व्यक्ति को सूचना दिए बिना आदेश पारित किया गया है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उभयपक्षों को सुनने के पश्चात तथा मूल अभिलेख के अवलोकन के पश्चात अपने विवेक का उपयोग करते हुए विलंब को क्षमा करते हुए अपील को अवधि के अंदर मान्य करते हुए प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत किया गया है । विलंब क्षमा	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

करना यह अधीनस्थ न्यायालय के विवेक पर निर्भर है वरिष्ठ न्यायालय केवल यह देख सकता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकारों का उपयोग विधिवत किया है या नहीं । इस प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत विलंब को क्षमा करते हुए प्रकरण गुणदोष पर सुनवाई हेतु नियत किया गया है । उनके इस आदेश में कोई अनियमितता या अवैधानिकता नहीं है ना ही कोई विधिक त्रुटि है । आवेदक को प्रकरण के गुणदोषों पर अपना पक्ष रखने का अवसर अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष उपलब्ध है इस कारण इस स्तर पर अनुविभागीय अधिकारी के आदेश में हस्तक्षेप का कोई कारण मैं नहीं पाता हूँ ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है ।

उभयपक्ष सूचित हों । अभिलेख वापिस हो ।

सदस्य